भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3801

उत्तर देने की तारीख-16/03/2026

शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन

†3801**. श्री अनुराग शर्मा:**

श्री लालजी वर्मा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के दौरान शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन कितना है;

(ख) मौजूदा अंतर को पाटने के लिए केंद्रीय बजट के प्रावधान, राज्य सरकारों के योगदान और अन्य वित्तपोषण तंत्र सहित तैयार की गई वित्तीय रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान आवंटन किस प्रकार अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसमें कितना अंतर शेष रहेगा;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए देश के सभी राज्यों और क्षेत्रों में समान डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ.) यदि हाँ, तो देशभर में वार्षिक आधार पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनाए गए निगरानी तंत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के दौरान शिक्षा मंत्रालय को बजट आवंटन का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है-

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	शिक्षा मंत्रालय को बजट आवंटन
2024-25	1,21,118
2025-26	1,28,650
2026-27	1,39,289

(ख) और (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण शिक्षा में व्यय बढ़ाना केन्द्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार, केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शिक्षा पर लक्षित लोक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 6% है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षा मंत्रालय के बजट आवंटन को 93,224.31 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 1,39,289.48 करोड़ रुपये (5 वर्षों में 49.4% की वृद्धि) कर दिया है।

शिक्षा पर बजटीय व्यय के विश्लेषण संबंधी नवीनतम रिपोर्ट, 2022-23, के अनुसार वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शिक्षा पर कुल व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

केंद्र/राज्य	**शिक्षा पर व्यय**				
	2018-19 (वास्तविक)	**2019-20 (वास्तविक)**	**2020-21 (वास्तविक)**	**2021-22 (सं. अ.)**	**2022-23 (ब. अ.)**
केंद्र	1,82,139	2,02,991	2,13,883	2,73,107	2,92,548
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	5,54,442	6,09,222	6,13,790	7,13,793	7,99,920
कुल	**7,36,581**	**8,12,214**	**8,27,673**	**9,86,899**	**10,92,467**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 से केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की शिक्षा पर खर्च लगातार बढ़ रहा है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण / पूंजी सहायता के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करने और हर जिले में 1 बालिका छात्रावास की घोषणा की गई है ताकि एसटीईएम संस्थानों/पाठ्यक्रमों में लड़कियों के नामांकन को प्रोत्साहित किया जा सके।

(घ) और (ङ): चूंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है इसलिए सभी राज्यों में शिक्षा की समान डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही साथ सरकार ने छठी से बारहवीं कक्षा वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षा की स्थापना भी शामिल है।

आज तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 1,79,153 आईसीटी प्रयोगशालाएं और 1,76,738 स्मार्ट कक्षाएँ स्वीकृत की गयी हैं। यूडीआईएसई+ के आधार पर वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों में अनुमोदित डेटा और निधियों में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं में कमियों की पहचान की गई। इस अंतर को दूर करने के लिए, वर्ष 2025-26 में इन सुविधाओं की पूर्ति के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 22,618 आईसीटी प्रयोगशालाओं और 29,920 स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, सभी कार्यात्मक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को संतृप्त करने के लिए वर्ष 2024-25 में 3,564 आईसीटी प्रयोगशालाओं और 3,655 स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी दी गई। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं के लिए पिछले चार वर्षों (अर्थात 2021-22 से 2024-25 तक) में आवंटित निधि का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपये लाख में)

वित्तीय वर्ष	आईसीटी प्रयोगशालाएँ	स्मार्ट कक्षाएँ
2021-22	68,456	91,093
2022-23	41,824	73,823
2023-24	55,904	53,730
2024-25	54,372	59,519

भारत सरकार ने बजट 2025-26 में बीएसएनएल द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने के लिए भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान की घोषणा की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने और शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, 17 मई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के हिस्से के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई थी जो एनईपी 2020 के तत्वावधान में देश भर में शिक्षा के लिए बहू-रीति पहुंच को सक्षम बनाने के लिए

डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। पीएम ई-विद्या में भारत सरकार में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /स्वायत्त निकायों (एबी)/अन्य मंत्रालयों को आवंटित 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं ताकि वे कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग(दीक्षा) देश का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है जिसका उद्देश्य सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड वाली एनर्जेटिक पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों सहित स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करना है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों /एबीएस ने बहुभाषावाद को सक्षम बनाने वाली स्थानीय / क्षेत्रीय भाषाओं में 3.7 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और योगदान दिया है। दीक्षा ऑफलाइन सीमित या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों का सहायता करती है। हितधारकों के पास दीक्षा पर 450 से अधिक आभासी प्रयोगशाला और 100 आभासी कौशल प्रयोगशाला तक पहुंच है।

उच्चतर शिक्षा में, विभिन्न पहल/सुधार किए गए हैं जैसे व्यक्तिगत छात्र की स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों की निगरानी करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगा; मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक सरल, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण को सक्षम बनाना शामिल है; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; स्वयम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति देना; विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मौजूदा जनशक्ति के कौशल और कौशल को बढ़ाने और पुनः कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से नए स्वयम प्लस पोर्टल का शुभारंभ; समर्थ के माध्यम से प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के प्रशासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण; राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल): शैक्षणिक संसाधनों, पाठ्यपुस्तकों और शोध पत्रों के विशाल भंडार तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करना; ई-पीजी पाठशाला यूजीसी द्वारा कार्यान्वित आईसीटी (एनएमई-आईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है ताकि स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता, निःशुल्क ई-सामग्री प्रदान की जा सके, डीटीएच चैनल (स्वयं प्रभा): जिसके तहत 24/7 शैक्षिक सामग्री डायरेक्ट-टू-होम चैनलों के माध्यम से वितरित की जाती है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच सुनिश्चित होती है।
